बिहार सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

अधि0 सं0–05 / स्था0 (आशुलिपिक)–02 / 2025, परि0 6601 **पटना, दिनांक–** 08/8/2025

भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल परिवहन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में **आशुलिपिक** के पदों पर भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ। –

(i) यह नियमावली **बिहार परिवहन क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2025** कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

(iv) यह सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली, 2006 (समय–समय पर यथासंशोधित) अंतर्गत आच्छादित कर्मियों / कार्यालयों को छोड़कर संपूर्ण परिवहन विभाग पर लागू होगा।

2. परिभाषाएँ।– इस नियमावली में जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो :–

(i) **''सरकार'' से अभिप्रेत है, बिहार सरकार,**

(ii) **''नियुक्ति प्राधिकार''** एवं **''संवर्ग नियंत्री प्राधिकार''** से अभिप्रेत है, अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, परिवहन विभाग।

(iii) **''विभाग''** से अभिप्रेत है, बिहार सरकार का परिवहन विभाग।

(iv) **''संवर्ग''** से अभिप्रेत है, बिहार परिवहन क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग।

(v) **''आयोग''** से अभिप्रेत है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग।

(vi) **''सदस्य''** से अभिप्रेत है, संवर्ग में नियुक्त कोई व्यक्ति।

(vii) **''वर्ष''** से अभिप्रेत है, वित्तीय वर्ष, अर्थात पहली अप्रैल से 31 मार्च की अवधि।

(viii) **''रिक्ति''** से अभिप्रेत है, सेवा में नये पदों के सृजन, सेवानिवृत्ति, मृत्यु, सेवा से हटाये जाने और पदच्युत किये जाने से विशिष्ट वर्ष में उद्भूत रिक्ति।

(ix) **''नियत तिथि''** से अभिप्रेत है, इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि।

(x) **''क्षेत्रीय कार्यालय'' से अभिप्रेत है,** जिला परिवहन कार्यालय, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कार्यालय एवं बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण।

3. संवर्ग की रचना :–

(1) बिहार परिवहन क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग राज्य स्तरीय संवर्ग होगा, जिसकी संवर्ग संरचना निम्नानुसार होगी :–

क्र0	कोटि का नाम	कोटि का स्तर	प्रास्थिति
i	आशुलिपिक, ग्रेड–III	मूल कोटि	अराजपत्रित
ii	आशुलिपिक, ग्रेड–II	प्रथम प्रोन्नति स्तर	अराजपत्रित
iii	आशुलिपिक, ग्रेड–I	द्वितीय प्रोन्नति स्तर	अराजपत्रित
iv	प्रधान आशुलिपिक	तृतीय प्रोन्नति स्तर	अराजपत्रित

(2) उक्त पदों को स्वीकृत बल वही होगा जैसा समय–समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाए।

(3) उक्त पदों को ग्रेड वेतन / वेतन स्तर वही होगा जैसा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाए।

4. **आरक्षण**।–सेवा या संवर्ग में नियुक्ति/प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित आरक्षण/रोस्टर के प्रावधान लागू होगें।

5. **मूल कोटि में नियुक्ति**।–

(i) संवर्ग के मूल कोटि के पद, आशुलिपिक ग्रेड III पर सीधी भर्ती से नियुक्ति आयोग की अनुशंसा पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा की जायेगी।

(ii) नियुक्ति प्राधिकार द्वारा प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रैल के आधार पर रिक्तियों की गणना की जाएगी और 30 अप्रैल तक आयोग को अधियाचना भेजी जायेगी।

(iii) संवर्ग के मूल कोटि के पदों को सीधी भर्ती से भरा जायेगा।

(iv) नियुक्ति प्राधिकार द्वारा रिक्ति की अधियाचना विधिवत् बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाएगी तथा बिहार कर्मचारी चयन आयोग रिक्तियों का विज्ञापन प्रकाशित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को मेधाक्रम से अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा। मेधासूची की वैधता अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी।

(v) सम्यक छानबीन के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकार अभ्यर्थियों की नियुक्ति परिवीक्षा पर एक वर्ष के लिए करेगा।

6. **शैक्षणिक अर्हता**।–

(1) आशुलिपिक संवर्ग में नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इन्टरमीडिएट या उसके समकक्ष उत्तीर्ण होगी। साथ ही आशुलेखन/टंकण का ज्ञान तथा कम्प्यूटर के बेसिक / वर्डस प्रोसेसिंग का ज्ञान रखना भी आवश्यक होगा।

(2) भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी।

(3) अर्हता की जाँच–

(i) हिन्दी एवं अंग्रेजी श्रुतिलेख की 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 4 मिनट तक लेखापन द्वारा जाँच की जाएगी। लेखापन प्रारंभ करने के पूर्व एक मिनट का लेखापन जाँच (डिक्टेशन लेख) दिया जाएगा। श्रुतिलेख टंकित करने हेतु 20 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को टंकण आरंभ करने के पूर्व 2 मिनट का समय शुद्धि हेतु दिया जाएगा। जाएग श्रुतिलेख के टंकण की शुद्धि टंकण हेतु निर्धारित समय के अंतर्गत करनी होगी। श्रुतिलेख के टंकण में उत्तीर्ण होने के लिए 10 प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जायेगा।

(ii) श्रुतिलेख के अतिरिक्त उम्मीदवारों को हिन्दी एवं अंग्रेजी में 30 (तीस) शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10 मिनट में कम्प्यूटर पर टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए डेढ़ प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जायेगा।

7. **वरीयता**।–

(i) संवर्ग के सदस्यों की आपसी वरीयता राज्यस्तरीय होगी तथा इस सेवा के सदस्यों की पारस्परिक वरीयता का अवधारण सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा विनिश्चित सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के अनुसार होगा।

(ii) प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मियों की आपसी वरीयता आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमानुसार होगी।

8. **परिवीक्षा अवधि**।– आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक 01 (एक) वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर

इसे 01 (एक) और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

9. **प्रशिक्षण।**– सरकार द्वारा किये गये विनिश्चय के आधार पर संवर्ग के कर्मियों को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। यदि प्रशिक्षण के अंत में कोई परीक्षा नियत की जाती है तो उसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

10. **विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम।**–

(1) विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद द्वारा संचालित की जायेगी। राजस्व पर्षद द्वारा आशुलिपिक संवर्ग के लिए निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

(2) नियमावली प्रभावी होने के पूर्व परिवहन विभाग द्वारा पूर्व से संचालित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण कर्मी राजस्व पर्षद द्वारा संचालित विभागीय परीक्षा से विमुक्त माने जायेंगे।

11. **सम्पुष्टि।**– हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा एवं राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षाउत्तीर्ण होने पर तथा संतोषप्रद कार्यकलाप के आधार पर सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी।

12. **प्रोन्नति ।**–

(1) संवर्ग के सदस्यों को उच्चतर पदों पर प्रोन्नति, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित कालावधि के पूरा होने पर, वरीयता सह–योग्यता के आधार पर, विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा से दी जा सकेगी।

(2) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में प्रोन्नति के लिए समय–समय पर विहित आरक्षण प्रावधान लागू होंगे।

13. **विभागीय प्रोन्नति समिति।**– विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा अलग आदेश से नियुक्ति प्राधिकार की अध्यक्षता में किया जाएगा।

14. **अवशिष्ट मामले।**– जिन मामलों में इस नियमावली में विशिष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया जा सका है, उन मामलों में इस संवर्ग के कर्मी राज्य सरकार में समकक्ष स्तर के कर्मियों के लिए किये गए प्रावधान से आच्छादित होंगे।

15. **कठिनाई का निराकरण।**–

(i) इस नियमावली के नियमों की व्याख्या करने के लिए संवर्ग नियंत्री प्राधिकार सक्षम होंगे। आवश्यकतानुसार सामान्य प्रशासन विभाग/विधि विभाग/वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया जा सकेगा।

(ii) विभाग इस नियमावली के किसी भी नियम को लागू करने में आने वाली कठिनाई का निराकरण राजपत्र में समुचित आदेश प्रकाशित करते हुए कर सकेगा।

16. **निरसन एवं व्यावृत्ति।**– (i) इस सम्वर्ग के संबंध में नियत तिथि के पूर्व विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत संकल्प/नियमावली/आदेश आदि एतद् द्वारा निरसित समझे जायेंगे।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व में निर्गत संकल्प/नियमावली/आदेश आदि के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया समझा जायेगा, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई कार्रवाई की गई थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(मिहिर कुमार सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–05 / स्था० (आशुलिपिक)–02 / 2025 परि०, 6601 पटना, दिनांक 08/8/2025

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना / अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सॉफ्ट कॉपी एवं दो हार्ड कॉपी प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि संकल्प की 100 (एक सौ) मुद्रित प्रतियों इस विभाग को अतिशीघ्र भेजने का कष्ट करें।

सरकार के अपर मुख्य सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–05 / स्था० (आशुलिपिक)–02 / 2025 परि०. 6601 पटना, दिनांक 08/8/2025

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–05 / स्था० (आशुलिपिक)–02 / 2025 परि०. 6601 पटना, दिनांक 08/8/2025

प्रतिलिपि माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव / माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव / माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–05 / स्था० (आशुलिपिक)–02 / 2025 परि०, 6601 पटना, दिनांक 08/8/2025

प्रतिलिपि सचिव, परिवहन विभाग के आप्त सचिव / राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार / अपर सचिव, परिवहन विभाग / संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग / सभी उप सचिव, परिवहन विभाग / सभी अवर सचिव, परिवहन विभाग / मुख्यालय के सभी पदाधिकारी / सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार / सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार / सभी अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार / सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार / सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार / सभी प्रवर्तन निरीक्षक, बिहार / सभी सचिव, बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, बिहार एवं सभी संबंधित कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–05 / स्था० (आशुलिपिक)–02 / 2025 परि०, 6601 पटना, दिनांक 08/8/2025

प्रतिलिपि आई०टी० मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सभी संबंधित को ई–मेल करने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

Bihar Government
Transport Department
Notification

Notification No.-05/(Steno)-02/2025. 6601 Transport., Patna, dated 08/8/2025

In exercise of the powers conferred under article 309 of the constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following rules to regulate the recruitment and other service conditions of the posts of "Stenographer Cadre" in the Regional Office, Transport Department, Bihar, Patna :-

1. **Short title, Extent and Commencement-**
   (i) These rules may be called the Bihar Transport Regional Stenographer Cadre (Recruitment, Promotion and Service Conditions) Rules, 2025.
   (ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
   (iii) It shall come into force from the date of its publication in the gazette.
   (iv) These rules will be applicable to the entire Transport Department except the personnel/offices covered under Bihar Secretariat Stenographer Service Rules, 2006 (as amended from time to time) issued by the General Administration Department.
2. **Definitions**- In these rules, unless the context otherwise requires :-
   (i) **"Government"** means the Government of Bihar;
   (ii) **"Appointing Authority/Cadre Controlling Authority"** means the Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Transport Department, Bihar, Patna;
   (iii) **"Department"** means the Transport Department of the Government of Bihar;
   (iv) **"Cadre"** means the Bihar Transport Regional Stenographers Cadre;
   (v) **"Commission"** means the Bihar Staff Selection Commission;
   (vi) **"Member"** means any person appointed to the Cadre;
   (vii) " Year" means financial year, ie. 1st. April to 31 March period.
   (viii) **"Vacancy"** means a vacancy arising in a particular year from the creation of new posts in the service, retirement, death, removal from service and demotion;

(ix) **"Appointed Date"** means the date on which these rules come into force.

(x) **"Regional Office"** Means DTO, RTA and MACT.

3. **Structure of the Cadre.-**

(a) Bihar Transport Regional Stenographer Cadre will be a state level non-gazetted cadre, whose structure will be as follows :-

Sl. No.	Category Name	Rank level	Status
(i)	Stenographer, Grade III	Basic Grade	Non Gazetted
(ii)	Stenographer, Grade II	First Promotion Level	Non Gazetted
(iii)	Stenographer, Grade I	Second Promotion Level	Non Gazetted
(iv)	Head Stenographer	Third Promotion Level	Non Gazetted

(b) The sanctioned strength of the said posts shall be as may be approved by the government from time to time.

(c) The grade pay/pay level of the said posts will be the same as may be approved by the state government from time to time.

4. **Reservation.-** The provisions of reservation/roster notified by the state government from time to time shall be applicable in appointment/promotion to the service or cadre.

5. **Appointment in Basic Category. -**

(i) Appointment to the post of Stenographer, Grade III in the substantive category shall be made by direct recruitment by the appointing authority on the recommendation of the Bihar Staff Selection Commission.

(ii) The appointing authority shall calculate the vacancies on the basis of 1st April of each year and send the requisition to the commission by 30th April of each year.

(iii) The Basic category posts shall be filled by direct recruitment.

(iv) The commission shall publish advertisement of vacancies and select successful candidates on the basis of competitive examination and recommend the names of the candidates in merit order to the appointing authority. The validity of the merit list shall be one year from the date of receipt of recommendation.

(v) After due investigation the appointing authority will appoint the recommended candidates. for one year on probation.

6. **Educational Qualification.-**

(a) The minimum educational qualification for appointment in the stenographer cadre will be passing intermediate or its equivalent. Along with this, it will also be necessary to have knowledge of shorthand/typing and basic knowledge of computer/word processing.

(b) The minimum age for recruitment shall be 18 years and the maximum age shall be as determined by the state government (General Administration Department) from time to time.

(c) **Eligibility Test :-**

(i) Hindi dictation will be checked by dictation for 4 minutes at the speed of 80 words per minute. Before starting dictation, one minute dictation check (dictation writing) will be given. 20 minutes will be given to type the dictation. Apart from this, candidates will be given 2 minutes for correction before starting typing. Correction of typing of dictation will have to be done within the time prescribed for typing. To pass the typing of dictation, there should not be more than 10 percent mistakes otherwise they will be declared disqualified.

(ii) Apart from dictation, candidates will have to type 300 words in Hindi at the speed of 30 (thirty) words per minute on computer in 10 minutes. To qualify in this, there should not be more than one and a half percent mistakes otherwise they will be disqualified.

7. **Seniority.-**

(i) The mutual seniority of the members of the cadre shall be at the state level and the mutual seniority of the members of the service shall be determined in accordance with the principles and procedures determined by the General Administration Department, Bihar, Patna.

(ii) The seniority of the personnel appointed by direct recruitment on the basis of competitive examination shall be determined in accordance with their merit position as determined by the commission.

8. Probation Period- Members of this cadre appointed through direct recruitment on the recommendation of the commission will be on probation for 01 (one) year. If the service is not satisfactory during the probation period, it can be extended for 01 (one) more year. If the service is not satisfactory even during the extended period, the service can be terminated.

9. Training- It will be compulsory for the employees of the Stenographer cadre to undergo training as prescribed by the government from time to time. If any examination is fixed at the end of the training, it will be compulsory to pass it.

10. Departmental Examination and Syllabus- Employees appointed through direct recruitment of the cadre will have to pass all the papers of the departmental examination as determined by the Central Examination Committee, Revenue Board. The employees who have passed the departmental examination conducted by the Transport Department prior to this notification shall be exempted from the departmental examination conducted by the Revenue Board.

The departmental examination shall be condected by Revenue Board, It shall be compulsary to pass the departmental examination or Interview by the Revenue board for Stenographer cadre.

11. Confirmation- Service may be confirmed on the basic of passing Hindi note drafting Examination and Departmental Examination conducted by Board as well as satisfactory condition.

12. Promotion-

(a) After completion of time period prescribe from time to time by General Administration Department Promotion to higher posts in the cadre may be made on the basis of seniority-cum-merit on the recommendation of the Departmental Promotion Committee.

(b) The reservation provisions as prescribed from time to time by the General Administration Department for promotions in the state government services shall apply.

13. **Departmental promotional committee-**In the light of Government Order the Departmental pormotion commiitee shall be constitued in the charimanship of Appointing authority.

14. **Residual matters-** In cases where specific provision has not been made in these rules, the employees of this cadre will be covered by the provisions made for employees of equivalent level in the state government.

15. **Removal of Difficulty-**

    (i) Cadre Controling authority will be competent to interpret the rules of these rules. Consultation of General Administration Department/Law Department/Finance Department can be taken as per the need.

    (ii) The department may, by order published in the official gazette, remove any difficulty arising in the implementation of any rule of these rules.

16. **Repeal and Avoidance-**

    (i) All Circulars/Instructions/Resolutions issued regarding appointment/ service conditions etc. of the personnel of this cadre before the appointed date shall be deemed to have been repealed.

    (ii) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under any earlier circular/instruction/resolution shall be deemed to have been done or taken under these rules as if these rules were in force on the day on which such thing was done or such action was taken.

By the order of the Governor of Bihar.

(Mihir Kumar Singh)
Additional Chief Secretary to the
Government of Bihar,
Transport Department, Patna.

Memo No.- 05/(Steno)-02/2025. ....Transport., Patna, dated..................../2025

Copy- Sent to the Officer-in-Charge, e-Gazette Cell, Finance Department, Bihar, Patna/Superintendent, Government Printing Press, Gulzarbagh, Patna along with soft copy and two hard copies for information and for publication in the next extraordinary issue of the Gazette. He is requested to send 100 (one hundred) printed copies of the resolution to this Department as soon as possible.

Additional Chief Secretary to the
Government of Bihar,
Transport Department, Patna.

Memo No.- 05/(Steno)-02/2025. 6601 Transport., Patna, dated 08/8/2025

Copy- Sent to the Accountant General, Bihar, Patna for information and necessary action.

Additional Chief Secretary to the
Government of Bihar,
Transport Department, Patna.

Memo No.- 05/(Steno)-02/2025. 6601 Transport., Patna, dated 08/8/2025

Copy - Sent to the Principal Secretary to Hon'ble Governor/Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister/Private Secretary to Hon'ble Minister, Transport/Chief Secretary/All Departments /All Department Heads/All Divisional Commissioners/All District Officers/All Deputy Development Commissioners for information and necessary action.

Additional Chief Secretary to the
Government of Bihar,
Transport Department, Patna.

Memo No.- 05/(Steno)-02/2025. 6601 Transport., Patna, dated 08/8/2025

Copy - Sent to the Personal Secretary to Transport Department/ Principal personal secretary to State Transport Commissioner/Addtional Secretary, Transport Department/Joint Secretary,Transport Department /All Deputy Secretary, Transport Department/All Under Secretary, Transport Department/ and all concerned employees for information and necessary action.

Additional Chief Secretary to the
Government of Bihar,
Transport Department, Patna.

Memo No.- 05/(Steno)-02/2025. 6601 Transport., Patna, dated 08/8/2025

Copy - Sent to the I.T. Manager, Transport Department, Bihar, Patna for e-mailing to all concerned and uploading on the departmental website.

Additional Chief Secretary to the
Government of Bihar,
Transport Department, Patna.